उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या /VIII-1/2020–04(विविध)/2015–TC-II
देहरादून, 20 जनवरी, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, कारखाना अधिनियम, 1948 (सं0 63, 1948) की धारा 6 तथा 112 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड मे यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के संदर्भ में अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2020।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 9 के उपनियम (1) का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड मे यथाप्रवृत्त) में नियम 9 के उपनियम (1) में "कारखाने के अनुज्ञापत्र को संबंधित निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा 10 (दस) वर्षों के लिए नियम–7 के अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित फीस भुगतान करने पर निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए किया जायेगा।" के स्थान पर "कारखाने के अनुज्ञापत्र को जितनी अवधि **(अधिकतम 10 वर्ष)** के लिये कारखानेदार द्वारा नियम 7 के अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा, कारखाने का अनुज्ञापत्र उतनी अवधि के लिये निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए स्वतः ही नवीनीकृत माना जायेगा।" शब्द रख दियें जायेंगें।

आज्ञा से,

(डा0 हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्या– 1078 /VIII-1/2020–04(विविध)/2015–TC-II तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. पीठसीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
5. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रशान्त आर्य)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.1678...../VIII/2020-04(Misc)/2015 T.C.-II Dehradun Dated 20...January, 2021 for general information.

Government of Uttarakhand
Labour Section
No. 1678 /VIII-1/2020-04(Misc)/2015-TC-II
Dehradun 20 January, 2021

Notification

In exercise of the powers conferred by the section 6 and 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950 (as applicable in the State of Uttarakhand) to the context of State of Uttarakhand:-

The Uttarakhand Factories (Amendment) Rules, 2020

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Factories (Amendment) Rules, 2020.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of subrule (1) of Rule 9

2. In rule 9 of the Uttar Pradesh Factories Rules, 1950 (as applicable in the State of Uttarakhand) in subrule (1) for the words "the license of a factory may be renewed by the concerned Inspector/sub Inspector up to Ten calendar years at a time on payment of requisite fee specified in the Schedule under Rule 7 subject to below conditions:" the words " the license of the factory shall be deemed to be renewed automatically for the period (Maximum 10 years) for which the factory owner has applied online on payment of requisite fee specified in the annxure of Rule 7 subject to the following conditions:" shall be subsitituted.

By Order,

(Dr. Harbans Singh Chugh)
Secretary